



नैनीताल बैंक

शाखा : मुख्य शाखा, रुद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर

ई-नीलामी संशोधन

प्राधिकृत अधिकारी ने मैसर्स नैनी ऑटो टेक की बंधक संपत्ति की बिक्री के लिए 20.01.2025 को दैनिक जागरण में ई-नीलामी नोटिस प्रकाशित किया था। जिसमें भूलवश सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि, ईएमडी जमा करने की तिथि एवं ई-नीलामी की तिथि क्रमशः 05.02.2025, 06.02.2025 एवं 07.02.2025 छप गयी थी। जबकि वास्तव में सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि, ईएमडी जमा करने की तिथि एवं ई-नीलामी की तिथि क्रमशः 24.02.2025, 25.02.2025 एवं 27.02.2025 है एवं यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत के लिए सांविधिक 30 दिवसीय बिक्री सूचना है। अतः सर्वसाधारण से अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन को पढ़ें व समझें।

प्राधिकृत अधिकारी